अति तत्काल

फाइल संख्या आर-11016/2/2015-पी.एण्ड.सी.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 18 नवबंर, 2020

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए अक्टूबर, 2020 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **अक्टूबर, 2020** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिमंडल के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उपभोक्ता मामले विभाग

अक्टूबर, 2020 माह का मासिक सार

1. अक्टूबर, 2020 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय:

i) 21 अक्टूबर को प्याज का औसत खुदरा मूल्य संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम में अधिसूचित फॉर्मूले के अनुसार मूल्य ट्रिगर को अतिक्रमित करता हुआ पाया गया, इसलिए 23 अक्टूबर, 2020 से प्याज पर स्टॉक सीमा अधिरोपित की गई। यह अधिसूचित किया गया कि थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए 2 मीट्रिक टन होगी। तत्पश्चात्, किसानों की वास्तविक समस्याओं के मद्देनजर, सभी राज्यों को यह सुझाव देते हुए कि स्टॉक सीमा के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई करते समय पैकेजिंग, ग्रेडिंग इत्यादि जैसी गतिविधियों के लिए मंडी में खरीद की तारीख से तीन दिनों का समय दिया जाए।

ii) आलू की कीमतों को कम करने के लिए, जनवरी 2021 तक 10% की घटाई हुई शुल्क के साथ 10 लाख मीट्रिक टन के आयात की अनुमति का निर्णय लिया गया। दालों के संबंध में, बफर स्टॉक से एमएसपी या डीआरपी (जो भी कम हो) पर मूंग, उड़द और तूर को दिए जाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और तमिल नाडू, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र सरकार से तुरंत उत्तर प्राप्त हो गया है। यह उम्मीद की जाती है कि जैसे ही स्कीम स्थिर होगी अधिक राज्य सामने आएंगे और मूल्यों को कम करने पर अधिक प्रभाव डालने के लिए एक अच्छी आपूर्ति कड़ी प्रणाली लागू होगी।

iii) 31 दिसंबर, 2020 तक 4 लाख मीट्रिक टन के निर्यात कोटा को विस्तारित किया गया। मसूर के मामले में, यह सिफारिश की गई कि 31 दिसंबर, 2020 तक मसूर पर शुल्क 10% तक घटाया जाएगा।

2. माह के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:-

i) विस्तारित प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-II) के तहत, जुलाई से नवंबर 2020 के दौरान प्रति माह प्रति लाभार्थी परिवार को नि:शुल्क 1 किग्रा साबूत चना वितरित किया जाएगा। 9.44 लाख मीट्रिक टन के कुल आबंटन की तुलना में 8.05 लाख मीट्रिक टन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को माह के अंत तक वितरित किया जाएगा और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थी परिवारों को 4.66 लाख मीट्रिक टन वितरित किया गया।

ii) पीएसएफ के तहत रबी 2020 से बफर स्टॉक से 1 लाख मीट्रिक टन प्याज की अधिप्राप्ति में से ओएमएस के माध्यम से लगभग 36,488 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया गया और राज्यों को खुदरा आपूर्ति की गई।

iii) प्याज, आलू और दालों के संबंध में विशेष रुप से मूल्यों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी गई। अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठकों और सचिवों की समिति की बैठकों में वास्तविक स्थिति प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर मंत्रियों के समूह के अनुमोदन से आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए गए।

iv) अक्टूबर 2020 के दौरान, 15 नए मानक तैयार किए गए और 15 मानकों को संशोधित किया गया।

v) घरेलू विनिर्माताओं को 685 नए लाइसेंस की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू विनिर्माताओं के 3016 लाइसेंसों और विदेशी विनिर्माताओं के 45 लाइसेंसों को नवीकृत किया गया।

vi) इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने " दिनांक 01/10/2020 के आदेश में इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) " आदेश 2012 की अनुसूची में सात सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को शामिल किया।

3. माह के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण बैठक

i) "आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा" के संबंध में 09.10.2020 और 30.10.2020 को सीओएस की दो बैठको का आयोजन किया गया।

ii) बीआईएस ने 'तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ मानको का एकीकरण' पर नीति आयोग, उपभोक्ता मामले विभाग, यूजीसी, क्यूसीआई और आईआईटी से अधिकारियों की विशेषज्ञ समिति की प्रथम बैठक दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 को आयोजित की।